EOI 10.11229/researchdirections/May19/22

ISSN NO – 2321-5488 UGC Journal. No. 45489 Impact Factor – 5.11

Vol: 7 Issue: 1 May 2019

मुगलकाल में ग्रामीण सामाजिक स्तरण

डॉ शालिनी चौधरी
एसो0 प्रो0 इतिहास विभाग
श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़

सारांश –

अनुकूल भौगोलिक संरचना तथा उत्तम जलवायु के कारण प्रारम्भ से ही उत्तर भारत के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अतः बाद के समय में विकसित हुये जीवन निर्वाह के सभी साधन या तो कृषि से सम्बन्धित थे अथवा इस पर आधारित थे। मुगलशासन की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि उपजों पर आधारित थी। इस शोध पत्र में मुगलकालीन ग्रामीण समाज का अध्ययन किया गया है। मुगल साम्राज्य की सर्वाधिक आबादी गॉवों में निवास करती थी अतः उसी प्रजा के सबसे बडे भाग ग्रामीण समाज का उल्लेख करते हुये गॉव के विभिन्न सामाजिक वर्गो से जैसे– किसान, जमीदार, अधिकारी वर्ग, महाजन आदि एवं उनके अधिकारों के सम्बन्ध का विश्लेषण किया गया है। विभिन्न कृषक वर्गो पर करों का भार एवं प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का परीक्षण भी शोधपत्र में किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द –

असली, दाखिली, रैय्यती, ताल्लुका, जमीदार, खुदकाश्त, पहीकाश्त, मुजारियान, बलुतादार, कमीन, बूमि, सतराही, बिस्वी, महाजन, मालिकाना, बंथ, ननकार।

प्रस्तावना –

सोलहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग गांव में निवास करता था। ग्रामीण जनसंख्या में किसानों का क्या अनुपात था यह बताना सम्भव नहीं है लेकिन यह निश्चित है कि इनमें सर्वाधिक बडा वर्ग कृषक वर्ग ही था। कृषकों से भूमि कर के रूप में प्राप्त उनकी उपज का अतिरिक्त भाग ही शासक तथा कुलीन वर्ग की आय का मुख्य साधन था। मुगलशासकों द्वारा समय समय पर किसानों की सुविधा तथा सुरक्षा के लिये आदेश प्रचारित करवाये गये ताकि किसान निश्चिंत होकर कृषि कार्य कर सकें। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल द्वारा रचित फारसी ग्रन्थ आइने – अकबरी में अमल गुजार को किसानों के साथ मित्रवत रहने तथा आवश्यकता के समय गरीब किसानों को धन की सहायता तथा तकावी ऋण आदि प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

भारतीय इतिहास का अध्यन गांव तथा उनमें रहने वाली ग्रामीण जनता मुख्यतः कृषकों की जानकारी के बिना अधूरा है। मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागो में गॉव को गॉव अथवा देह के नाम से जाना जाता था वही लगान अभिलेखों में गांव को मौजा कहते थे। भू राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता था। गांव की सीमाऐं स्पष्ट सीमांकित होती थी। गांव दो प्रकार के होते थे प्रथम असली तथा द्वितीय दाखिली गांव। असली पुराने गांव थे जो परगना की सीमा के अन्दर से पहले से ही विद्यवान थे, जबकि दाखिली गांव वे होते थे जिन्हें या तो किसी पास के परगना से हटकार दूसरे परगना में शामिल कर देते थे अथवा किसी असली गांव से कुछ भूमि अलग करके नये गांव अलग बसा लिये जाते थे।[1] असली तथा दाखिली गांवों के अतिरिक्त एक परगना के अन्तर्गत गांवों को रैय्यती एवं तालुका के शीर्षकों के अन्तर्गत भी वर्गीकृत किया जाता था।[2]

EOI 10.11229/researchdirections/May19/22

ISSN NO – 2321-5488 UGC Journal. No. 45489 Impact Factor – 5.11

Vol: 7 Issue: 1 May 2019

कृशक वर्ग –

मुगलकाल में प्रत्येक प्रकार के गांव में एक निश्चित सीमा पर ग्रामीण समाज में विभाजन अथवा स्तरण देखने को मिलता है। मुगलकालीन गांवों में निश्चित ही राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक विषमतायें विद्यमान थीं तथा यह कहना उचित नहीं है कि मुगलशासन में जमीदार के अतिरिक्त प्रत्येक गांववासी समान स्तर का था। किसानों द्वारा नियंत्रित भू – क्षेत्र के आकार, प्रयोग किये जाने वाले भाड़े के श्रम तथा उनके आपसी सम्पत्ति – सम्बन्ध एवं धन, जाति तथा सामाजिक स्थिति के आधार पर मुगलकालीन कृषक समुदाय को विभिन्न वर्गो में विभाजित किया जा सकता था।

मुगलकालीन कृषक समुदाय को स्पष्ट रूप से तीन वर्गो में विभाजित किया जा सकता था – प्रथम खुदकाश्त, द्वितीय पहिकाश्त तथा तृतीय मुजारियान। नुरूलहसन के अनुसार किसान मुख्यतः दो प्रकार के होते थे– स्वतंत्र किसान तथा किरायेदार किसान। इनमें बहुतायत स्वतंत्र किसानों की थी तथा इनके लिये रिआया शब्द का प्रयोग किया जाता था।[3]

खुदकाश्त किसानों को मुगलकालीन सरकारी दस्तावेजों में मालिक – ए– जमीन अर्थात भूमि का स्वामी भी कहा गया है।[4] ये किसान स्वयं भूमि जोतते थे अथवा मजदूरों द्वारा जोतवाते थे। ये उच्च अधिकारों के स्वामी थे। इन्हें राजस्थान में गारूहाला या गावेती तथा महाराष्ट्र में मिरासी या स्थलवाहिक कहते थे।[5] खुदकाश्त किसानों की भूमि पर भूमिकर की दर अपेक्षाकृत कम होती थी।[6] जबकि सामान्य किसानों को भूमिकर उपज का 1/4 से 1/2 भाग तक राज्य को देना होता था।[7] खुदकाश्त किसानों से यह आशा की जाती थी कि वे अपनी भूमि का कोई भाग बिना बोये नहीं छोड़ेगें।

किसानों का दूसरा वर्ग 'पहिकाश्त' अथवा 'पाही' कहलाता था। 'पहिकाश्त' किसानों से तात्पर्य उन किसानों से था जो किसी अन्य गांव में खेती करते थे। जहाँ उनका वास्तविक निवास स्थल न होकर अस्थायी झोपडियां होती थी।[8] मुगलकाल में अधिक भूमि पर खेती कराने के लिये किसानों को दूसरे गांवों में भूमि उपलब्ध करायीं जाती थी, पहिकाश्त किसानों की उत्पत्ति यहीं से प्रारम्भ हुई। शासन द्वारा उन्हें हल, बैल, बीज, खाद और पैसों की मदद दी जाती थी।[9] तथा सम्पूर्ण भूमि – कर केवल तीन–चार साल बाद लिया जाता था।

किसानों के एक गाँव से दूसरे गाँव में पलायन के कई कारण हो सकते थे जिनमें प्राकृतिक संकट जैसे–अकाल अथवा मनुष्य द्वारा उत्पन्न संकट जैसे – युद्ध अथवा स्थानीय दमन। भारतीय ग्रामीण समाज की यह विशेषता रही है कि विपरीत परिस्थितियों में किसान अपनी स्थितियों को बेहतर बनाने के उददेश्य से या तो नवीन गाँव वसा लेते थे अथवा पुराने गाँव में ही कृषि क्षेत्र का विस्तार करते थे या उन्हें पुनः बसाते थे।[10] कभी–कभी पहिकाश्त किसान वे दलित भी होते थे जो किसी नये अथवा उजड़े हुये गाँव में उन जमीनों को जिन्हें वो जोतते थे उनके स्वामित्व का अधिकार पाने की आशा में आ जाते थे।[11]

'किसानों की सामान्य श्रेणी के लिये फारसी भाषा का शब्द मुजारियान प्रयुक्त किया जाता था। इन्हें रैय्यती तथा राजस्थान में पालती कहा जाता था।[12] पालती किसान मुख्यतः मध्यमवर्ग की जातियों जैसे जाट, गुर्जर, माली, अहीर मीणा आदि से संबंध रखते थे।

कृषकों के उपर्युक्त तीन वर्गो के अतिरिक्त भूमिहीन श्रमिकों की एक बड़ी संख्या भी प्रत्येक गाँव में होती थी। इनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था अतः इन्हें गॅवार भी कहते थे।[13] यह वर्ग किसानों के साथ मिलकर कृषि श्रमिक जनसंख्या की रचना करता था। ये सेवक अथवा खिदमती प्रजा

थे जिनमें लौहार , बढई, रस्सी बनाने बाले, कुम्हार, चमार, नाई, धोबी तथा चौकीदार शामिल होते थें। महाराष्ट्र में इन्हें बलूतादार कहते थे।[14]

ग्रामीण उच्च वर्ग –

मुगलकालीन ग्रामीण समाज में हमें गाँव निवासियों की अनेक श्रेणियाँ अथवा वर्ग दिखाई देते हैं जो अधिकारों, कतर्व्यो, धन – सम्पत्ति, जाति आदि विभिन्न स्तरों पर एक दूसरे से अलग थे। बहुसंख्यक किसानों से अलग एक ग्रामीण उच्च वर्ग भी हमें तत्कालीन गाँवो में दिखाई देता है जो अपनी सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत, सम्पत्ति, विशेष अधिकारों तथा शासन द्वारा निर्धारित कर्तव्यों के आधार पर सामान्य किसानों से सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर ऊँचा माना जाता था।

जमीदार वर्ग –

जमीदार शब्द का प्रयोग 14 वीं शताब्दी से दिखाई देता है जमीदार एक अधिकार था जो एक ग्रामीण वर्ग से जुडा हुआ था तथा किसानों के ऊपर था।[15] अबुल फजल तथा कुछ अन्य लेखकों ने जमीदार के लिये एक सामानार्थी शब्द बूमी का भी प्रयोग किया है जिसका शाब्दिक अर्थ भूमि होता है। अबध में जमीदार को सतराही तथा बिस्वी तथा राजस्थान में इन्हें भूमिया कहा जाता था।[16] जमीदार शब्द का प्रयोग विभिन्न पुश्तैनी हितधारकों के लिये किया जाता था, जिनमें शक्तिशाली स्वतंत्र और स्वायत्त सरदारों से लेकर ग्राम स्तर तक के छोटे–मोटे मध्यवर्ती सरदार शामिल थे।

अकबर के समय में जमीदारों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता था– (1) स्वायत्त सरदार (2) मध्यस्थ जमीदार (3) प्राथमिक जमीदार।

स्वायत्त सरदारों में राजा, महाराजा, राणा, रावत, राव और राय कहें जाने वाले वंशानुगत सरदारों को जमीदार कहा जाता था। उनके पास राजनैतिक अधिकार पहले से थे जबकि जमीदारी अधिकार उन्हें मुगल सरकार ने दिये क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी।[17]

मध्यवर्ती जमीदार जागीदारों अथवा सरदारों के लिये धन एकत्रित करते थे। इनको मालिकाना हक प्राप्त नहीं था।[18] इनका कार्य खिदमत गुजारी था। मुकददम या मुखिया, परगना चौधरी, ताल्लुकेदार, कानूनगों, खट, इजारेदार पटटादार, देशमुख, देसाई, और देशपांडे मध्यवर्ती जमीदारों की कोटि में आते थे।[19]

तीसरा वर्ग प्राथमिक जमीदारों का था इनका कृषि भूमि तथा साथ ही रिहायशी भूमि पर मालिकाना अधिकार होता था। ये स्वंय अथवा भूमि श्रमिकों की सहायता से अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसान मालिक तथा एक या अनेक गाँवों के मालिक भी हो सकते थे। इन्हें खुदकाश्त भी कहते थे।[20]

प्रत्येक प्रकार के जमीदार का प्रमुख कर्तव्य राजस्व वसूली में प्रशासन की मदद करना था। सरकार के अनुरोध पर सैनिक टुकडी का नेतृत्व करना, राजस्व का सम्पूर्ण विवरण तैयार करना, प्राकृतिक संकट की सूचना देना, राजस्व खजाने में जमा करना, खेती को प्रोत्साहन देना, आदि उनके प्रमुख कार्य थे।

जमीदारों के अधिकार अनुवांशिक थे। पिता की मृत्यु के बाद जमीदारी पुत्र को प्राप्त होती थी। उन्हें अपनी भूमि बेचने अथवा हस्तान्तरित करने का अधिकार था।[21] भूमि से सम्बन्धित कार्यो की देखभाल करने के बदले उसे उत्पादन से एक भाग आमदनी के रूप में प्राप्त होता था। जमीदार को

लगान मुक्त भूमि तथा विभिन्न प्रकार के भत्ते तथा दस्तूरियां दी जाती थी, जिन्हें मालिकाना,[22] बंथ[23] तथा ननकार[24] आदि कहते थे।

जमीदार ग्रामीण जीवन में सबसे उच्च स्थिति पर विद्यमान थे। उनके पास रहने के लिये किले अथवा गढ़ी होती थी, जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की सूचक थी। जमीदारों के पास उनकी फौजें भी होती थी, जिनकी सहायता से वे लगान वसूलते थे तथा अपने जमींदारी क्षेत्र में शान्ति, न्याय, एवं कानून व्यवस्था बनाये रखते थे।

अधिकारी/प्रभावशाली वर्ग –

जमींदारों के अतिरिक्त गाँवों में अधिकारी वर्ग जैसे मुकददम, पटवारी, आदि भी ग्रामीण उच्च वर्ग की श्रेणी में आते थे। ये अधिकारी गॉव के खुदकाश्त किसानों में से होते थे जो राजस्व निर्धारण तथा संग्रह में प्रशासन की मदद के साथ–साथ गाँव संबंधी सम्पूर्ण विवरण तैयार करते थे। इन्हें अपने कार्यो के बदले कभी–कभी प्रशासन से नगद वेतन किन्तु अधिकतर वसूल किये गये राजस्व से कुछ प्रतिशत भाग प्राप्त होता था। इसके अलावा उनकी भूमि से अपेक्षाकृत कम दरों पर राजस्व वसूली की जाती थी। ये अधिकारी गाँव से राजस्व वसूल कर उसे खजाने में जमा कराते थे। उनके द्वारा तैयार किये गये राजस्व के विवरणों के आधार पर उच्च अधिकारी अपने राजस्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करते थे। इस प्रकार ये ग्राम प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इनकी सामाजिक स्थिति दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। कभी–कभी मुकददम अपनी स्थिति का फायदा उठाकर किसानों से अतिरिक्त कर बसूलते थे, तथा जब कृषि को प्रोत्साहन देने के लिऐ तकावी ऋण बाँटने का कार्य राज्य मुखिया अर्थात मुकददम को सौंपते थे तो किसानों को ऋण देने से पहले उसमें से अपना भाग लेते थे।[25] इसके अलावा मुकददम किसानों से प्रचलित परम्परागत अनुलाभ जैसे–खुराक तथा मुकददमी भी प्राप्त करते थे।[26] गाँव के पटवारी भी छोटे किसानों पर अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते थे।[27]

मुगलकालीन ग्रामीण समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान महाजन को भी प्राप्त था जो कि किसान तथा राज्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था तथा जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महत्पूर्ण नियंत्रण था।[28] महाजन प्रमुखतः बनिया जाति के अनाज व्यापारी होते थे, जो देहात से अनाज खरीदकर उसे ग्रामीण तथा शहरी बाजारों में बेचते थे। वे बाजार में बिकने वाले विभिन्न प्रकार के अनाजों की कीमतें नियंत्रण में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। संकट के समय में अनाज का भण्डारण करके ये अनाज की कीमतों में वृद्धि करके मुनाफा कमाते थे राज्य इन पर नियंत्रण करके कीमतों को यथासंभव सही करने की कोशिश करता था। महाजन आवश्यकता के समय किसानों की कृषि सम्बन्धित उपकरण खरीदने, खेती का विस्तार करने तथा बीज एवं अन्य वस्तुयें खरीदने हेतु ऋण देते थे। कभी–कभी आवश्यकता पडने पर महाजन, राज्य, जागीरदार, इजारेदार तथा पालती को विभिन्न उददेश्यों की पूर्ति हेतु भी ऋण देते थे।[29]

निष्कर्ष – मुगलकालीन ग्रामीण समाज विभिन्न स्तरों अथवा वर्गो में विभक्त था। इस विभाजन का आधार कृषकों द्वारा नियंत्रित भू–क्षेत्र का आकार, प्रयोग किये जाने वाले भाड़े के श्रम तथा आपसी सम्पत्ति सम्बन्ध एंव धन, जाति तथा सामाजिक स्थिति आदि मुख्य थे। इसलिये ग्रामीण समाज उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग में बँटा दिखाई देता है। अधिकांश भूमि का मालिक होने पर भी उच्च वर्ग पर लगान की दरें कम होती थीं, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों को लगान की पूर्ण दरों के साथ अनेक दूसरे कर भी देने पड़ते थे। इन विविध करों के भुगतान के कारण सामान्य कृषक वर्ग की आर्थिक दशा

ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसका महत्वपूर्ण कारण उनके पास कम भूमि क्षेत्र का होना तथा देय राजस्व की उच्च दरों का होना था।

सन्दर्भ सूची :–

1. नोमान अहमद सिद्दीकी, मुगल लैड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, 1700–1750, नई दिल्ली, 2004, पृ0–08, एस. पी.गुप्ता, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ इस्टर्न राजस्थान, दिल्ली, 1986, पृ0–116।
2. उपरोक्त
3. नुरूल हसन, थाटस ऑन अग्रेरियन रिलेशंस इन मुगल इण्डिया, नई दिल्ली, 1960, पृ0–17–18।
4. सतीश चन्द्र, मेडीवल इण्डिया, भाग–2 नई दिल्ली, 2010, पृ0–359।
5. एस.पी. गुप्ता, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ इस्टर्न राजस्थान, पृ0 118, सैययद असलम अली, कृषक : समुदाय के विभिन्न स्तर, मध्य कालीन भारत, भाग 2, पृ0 –409।
6. एस.पी. गुप्ता द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ इस्टर्न राजस्थान, पृ0 118।
7. उपरोक्त
8. इरफान हबीब, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया 1556–1707, नई दिल्ली, 1999, पृ0 131।
9. एस.पी. गुप्ता द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ इस्टर्न राजस्थान, पृ0 119, सतीश चन्द्र, मेडीवल इण्डिया, भाग 2, पृ0 360।
10. उपरोक्त, पृ0 361
11. उपरोक्त
12. उपरोक्त
13. एस.पी. गुप्ता, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ इस्टर्न राजस्थान, पृ0 122।
14. ए आई चिचरोव, इण्डिया इकोनोमिक डेवलपमेंट इन द 16–18 सेंचुरी, आउट लाइन हिस्ट्री ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड, अनुवाद डान दानेमानीस, मास्को, 1971, पृ0 23।
15. इरफान हबीब, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया, पृ0 174।
16. उपरोक्त, पृ0 172
17. एस. नुरूल हसन, मुगलों के अधीन जमींदार, मध्यकालीन भारत, अंक–1, 1989, पृ0–47
18. उपरोक्त पृ0
19. नुरूल हसन, थाट्स ऑन अग्रेरियन रिलेशंस इन मुगल इण्डिया, नई दिल्ली, 1990, पृ0 29–31।
20. उपरोक्त , पृ0–28
21. उपरोक्त, पृ0–28 सिद्दकी–मुगल लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पृ0 34
22. मालिकाना, यह कुल जमा का 10 प्रतिशत दिया जाता था।
23. बंथ, कुल भूमि का 1/4 भाग इसकी मालगुजारी जमींदार लेता था।
24. ननकार, भूमि के रूप में एक बीघा के दो विस्वा अथवा नगद रूप में कुल जमा का 5 प्रतिशत जमींदार को दिया जाये।
25. इरफान हबीब, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया, पृ0 163
26. उपरोक्त
27. उपरोक्त, पृ0 168
28. एस.पी. गुप्ता, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ इस्टर्न राजस्थान, पृ0 140 ।
29. उपरोक्त, पृ0 141।